प्रेषक,

**मिशन निदेशक,**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

**समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

**पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/IYCF-Trg / 28 / 2017–18 /** 11950-75 **दिनांक** 19/02/18

**विषय– माँ (MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एव गतिविधियां चलाई जा रही हैं। साथ ही शिशु एवं बाल कुपोषण को कम करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह सर्वविदित है कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) अत्यन्त आवश्यक है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिशु के लिये माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है तथा शिशु का मौलिक अधिकार भी है। शिशु मृत्युदर में नवजात शिशु मृत्युदर का प्रतिशत काफी अधिक होता है।

शिशुओं और बच्चों के लिये उत्तम स्वास्थ्य तथा कुपोषण से बचाव के लिये स्तनपान और ऊपरी आहार सम्बन्धित आदर्श व्यवहार निम्नलिखित हैं:–

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान की शुरूआत करायें एवं कॉलोस्ट्रम फीडिंग करायें।
- जन्म से छः माह पूर होने तक केवल स्तनपान करायें, पानी, घुट्टी, शहद एवं अन्य पेय पदार्थ का भी प्रयोग न करें।
- छः माह पूरे होने पर स्तनपान के साथ–साथ "अन्नप्राशन" मनाकर पौष्टिक ऊपरी आहार की शुरूआत करायें।
- कम से कम दो साल की उम्र तक स्तनपान जारी रखें।

प्रदेश की शिशु मृत्युदर काफी अधिक है। प्रदेश में शिशु मृत्युदर 43 / 1000 जीवित जन्म (एस0आर0एस0–2016) और बाल मृत्युदर 47 / 1000 जीवित जन्म (एस0आर0एस0–2016) है। शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) व्यवहार मृत्युदर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रदेश में हुए सर्वे (NFHS-4, 2015-16) के अनुसार स्तनपान सम्बन्धी व्यवहार की स्थिति उत्साह जनक नहीं हैं।

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशत 25.2 प्रतिशत।
- जन्म से छः माह पूरे होने तक केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशत 41.6 प्रतिशत।

प्रदेश में बाल कुपोषण की स्थिति (NFHS- 4, 2015-16) के अनुसार निम्नवत है जो कि चिन्ता का विषय है।

| कुपोषण के प्रकार | अतिगंभीर कुपोषित (< -3SD) | मध्यम कुपोषित (< -2SD) |
|---|---|---|
| Stunting | 21.2 प्रतिशत | 46.3 प्रतिशत |
| Wasting | 6 प्रतिशत | 17.9 प्रतिशत |
| Underweight | 12.2 प्रतिशत | 39.5 प्रतिशत |

किसी भी समुदाय के प्रचलित व्यवहारों में बदलाव लाने के लिये चिकित्सीय सलाह एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा दिए जाने वाले परामर्श की अहम भूमिका होती है। अतः स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों का शिशु एवं बाल–पोषण की तकनीकी जानकारी एवं क्षमता वृद्धि हेतु स्किल प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्तनपान व उपरी आहार को बढ़ावा देने हेतु "माँ" (MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाई, ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई तथा सभी आशाओं एवं ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है ताकि शिशु मृत्युदर को रोकने में सहायता मिल सके।

इसी क्रम में **माँ** (MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के 24 घन्टे प्रसव सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के समस्त स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को जनपद स्तर पर 04 दिवसीय Infant and Young Child Feeding (IYCF) प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमतावर्द्धन किया जाना है।

❖ **प्रदेश में शिशु एवं बाल पोषण में सुधार लाने की रणनीति –**

जैसा कि आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013 से प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों में चरणवद्ध रूप से IYCF प्रशिक्षण चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों, न्यूट्रीशनिस्ट, RMNCH+A Counsellor को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में IYCF प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स उपलब्ध है। इनकी सूची भी जनपदों को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है माँ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित 04 दिवसीय शिशु एवं बाल पोषण IYCF प्रशिक्षण भी इन्हीं प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्सों से जनपद स्तर पर संचालित किया जाना है। इस प्रशिक्षण से अपेक्षित है कि स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि होगी जिससे वे अपनी–अपनी चिकित्सा इकाईयों को बेबी फ्रेन्डली बना सकें तथा शिशु एवं बाल पोषण सम्बन्धी कठिनाइयों का हल निकालने में एवं परामर्श देने में सक्षम हो सकें।

❖ **जनपद स्तरीय 04 दिवसीय** Infant and Young Child Feeding (IYCF) **प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0 एम0 को प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश–**

01– **जनपद स्तरीय 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्थल का चयन–**

- 04 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित किया जायेगा।
- ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में 04 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये ऐसी जगह की व्यवस्था की जाये जहाँ बिजली एवं प्रोजेक्टर आदि की समुचित व्यवस्था हो।
- 04 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 40 प्रतिभागी भाग ले सकते हैं।

02– **04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का चयन –**

- प्रति बैच के लिये जनपद में पूर्व में प्रशिक्षित 02 प्रशिक्षकों जिसमें 01 चिकित्सा अधिकारी ( प्रमुख्तः बालरोग विशेषज्ञ) एवं 02 स्टाफ नर्स द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार से कुल 03 प्रशिक्षकों द्वारा एक सत्र को संचालन किया जायेगा। किसी भी दशा में 02 प्रशिक्षकों से कम में बैच का संचालन नहीं कराया जायेगा।
- **जिन चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों ने पूर्व में मेडिकल कालेज स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों की जनपदवार सूची संलग्न है।**

03– **04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना–**

- प्रतिभागियों को 04 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण हेतु **मॉड्यूल**, फोल्डर, पेन, पेन्सिल, रबर, कटर, पैड, प्रमाण पत्र, अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी पत्र–प्रपत्र आदि की व्यवस्था कन्टिनजेन्सी मद से समय से कर ली जाये।

04– **04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किये जाने हेतु प्रतिभागियों का चयन–**

- प्रतिभागियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। जनपद में 24 घन्टे प्रसव सेवा वाले जिला महिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चयनित उपकेन्द्र के पूर्व में प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित स्टाफ नर्स एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी (ए0एन0एम0) की सूची तैयार कर ली जाये। **अन्य उपकेन्द्र जहॉ डिलवरी नहीं हो रही हैं उन ए0एन0एम0 को इस प्रशिक्षण में न बुलाया जाये।**
- **जिन स्टाफ नर्सो ने पूर्व में मेडिकल कालेज में IYCF प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन्हे प्रतिभागी के रूप में न बुलाया जायें। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षक के रूप में सेवायें ली जा सकती है।**
- यदि किसी कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रतिभागी नहीं आये हों तो जिला महिला चिकित्सालय से प्रतिभागियों को बुलाया जाये।

## 05– प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के दायित्व –

04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित किया जाना है, अतः सभी व्यवस्था को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0 / नोडल अधिकारी प्रशिक्षण / प्रशिक्षण प्राप्त नामित अधिकारी के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व तैयारी की जायेगी। जिसमें बैठने, खाने पीने, तथा गुणवत्ता हेतु सभी आवश्यक लॉजिस्टिक एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था पूर्ण की जानी है।

## 06– नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के दायित्व –

04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराये जाने हेतु सूचना पूर्व में प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को उपलब्ध करा दें। पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण से पूर्व आवंटित धनराशि प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका ज़िला महिला चिकित्सालय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर अवमुक्त करा दें, जिससे कि प्रशिक्षण के संचालन में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण बैचों मे आने वाले **प्रतिभागियों को समय से सूचीबद्ध कर लें।** प्रतिभागियों को निर्देशित कर दें कि चूँकि उक्त प्रशिक्षण 04 दिन का है अतः सभी प्रतिभागी प्रातः 9.30 से सांय 5.30 तक अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थित में उन्हें वापस कर दें।

## 07– वित्तीय दिशा निर्देश –

- प्रशिक्षण के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय की होगी तथा आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति से मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय को समय से स्थानान्तरित कर दी जाये, जिससे प्रशिक्षण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों का भुगतान तालिका के अनुसार नियमानुसार किया जाना है।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को नाश्ता, दो समय की चाय, दोपहर का भोजन, स्वच्छ पेय जल, की समुचित व्यवस्था की जानी है जिसके लिये प्रति प्रतिभागी प्रति दिन के हिसाब से धनराशि दी जा रही है।

## 08– वित्त पोषण –

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 के FMR Code- A.9.5.5.2.e पर IYCF प्रशिक्षण प्रसव केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 के (**प्रति बैच 40 प्रतिभागी**) 04 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु **रू0 81400.00 प्रति बैच** के अनुसार जनपदवार अनुमानित बैचों के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अवमुक्त की जा रही धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

### ❖ 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किये जाने हेतु मानक –

**निम्नलिखित तालिका में दिये गये भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित आर0सी0एच0 प्रशिक्षण मानकों के अनुसार 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्सो एवं ए0एन0एम0 प्रदान किये जाने हेतु प्रति बैच के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना है –**

| S. N. | Particulars (FMR Code- A.9.5.5.2.e) | Unit Cost | Quantity | | Total budget |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No.of Units | No.of Days /months | |
| | **A. Four day training of Staff Nurses and ANMs on IYCF** | | | | |
| 1 | Honorarium for Resource Persons (Rs. 1000 X 1 MO X 4 days) | 1000.00 | 1 | 4 | **4000.00** |
| 2 | Honorarium for Resource Persons (Rs. 600 X 2 SNs.X 4 days) | 600.00 | 2 | 4 | **4800.00** |
| 3 | Food/ Refreshments for participants (Lunch, Morning and evening Tea and Snacks) Rs. 350 X 4 X 40 | 250.00 | 40 | 4 | **40000.00** |
| 4 | Food/ Refreshments for facilitators Rs. 300 X 3 X 4 | 250.00 | 3 | 4 | **3000.00** |
| 5 | Training kit-(Plastic folder,four day MAA trg module, pad, pen etc.) | 300.00 | 40 | 1 | **12000.00** |
| 6 | Institutional Overheads | 9600.00 | 1 | 1 | **9600.00** |
| 7 | TA to participants (as per actual) - | 200.00 | 40 | 1 | **8000.00** |
| | **Total Fund** | | | | **81400.00** |

04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 प्रदान किये जाने हेतु नीचे दी गयी तालिका में जनपद के जिला महिला चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित बैच के अनुसार FMR Code-A9.5.5.2.c पर निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

| Fund Allocation of 4 Days IYCF training at district level for 2017-18 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. N. | Name of District | No. of Block | No. of 7+ Facilities (CHC/PHC) | No. of ANMs | Total Training Case load | | | Total batches @ 40 participants/Batch | | **Total fund released to DHS** |
| | | | | | 1 Staff Nurse from each block & 1 SNs 7+ districts & DCH/DWH | ANMs to be trained | **Total Training Case Load (4+5)** | No. of Batches | Total cost @ 81,400 Rs /Batch | |
| | | FMR Code-A9.5.5.2.c | | | | | | | | |
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | |
| 1 | Agra | 15 | | 286 | 16 | 286 | 302 | 8 | 651200 | **651200** |
| 2 | Aligarh | 12 | | 229 | 13 | 229 | 242 | 6 | 488400 | **488400** |
| 3 | Allahabad | 20 | | 568 | 21 | 568 | 589 | 15 | 1221000 | **1221000** |
| 4 | Ambedkar Nagar | 9 | | 267 | 10 | 267 | 277 | 7 | 569800 | **569800** |
| 5 | Amethi | 16 | | 199 | 17 | 199 | 216 | 5 | 407000 | **407000** |
| 6 | Amroha | 6 | | 100 | 7 | 100 | 107 | 3 | 244200 | **244200** |
| 7 | Auraiya | 7 | | 134 | 8 | 134 | 142 | 4 | 325600 | **325600** |
| 8 | Azamgarh | 22 | | 504 | 23 | 504 | 527 | 13 | 1058200 | **1058200** |
| 9 | Baghpat | 6 | | 133 | 7 | 133 | 140 | 4 | 325600 | **325600** |
| 10 | Bahraich | 14 | 12 | 292 | 27 | 292 | 319 | 8 | 651200 | **651200** |
| 11 | Ballia | 17 | | 308 | 18 | 308 | 326 | 8 | 651200 | **651200** |
| 12 | Balrampur | 9 | 9 | 179 | 19 | 179 | 198 | 5 | 407000 | **407000** |
| 13 | Banda | 8 | | 268 | 9 | 268 | 277 | 7 | 569800 | **569800** |
| 14 | Barabanki | 15 | | 381 | 16 | 381 | 397 | 10 | 814000 | **814000** |
| 15 | Bareilly | 15 | | 349 | 16 | 349 | 365 | 9 | 732600 | **732600** |
| 16 | Basti | 14 | | 256 | 15 | 256 | 271 | 7 | 569800 | **569800** |
| 17 | Bijnor | 11 | | 315 | 12 | 315 | 327 | 8 | 651200 | **651200** |
| 18 | Budaun | 15 | | 257 | 16 | 257 | 273 | 7 | 569800 | **569800** |
| 19 | Bulandshahar | 16 | | 296 | 17 | 296 | 313 | 8 | 651200 | **651200** |
| 20 | Chandauli | 9 | | 255 | 10 | 255 | 265 | 7 | 569800 | **569800** |
| 21 | Chitrakoot | 5 | | 148 | 6 | 148 | 154 | 4 | 325600 | **325600** |
| 22 | Deoria | 16 | | 340 | 17 | 340 | 357 | 9 | 732600 | **732600** |
| 23 | Etah | 8 | | 183 | 9 | 183 | 192 | 5 | 407000 | **407000** |
| 24 | Etawah | 8 | | 151 | 9 | 151 | 160 | 4 | 325600 | **325600** |
| 25 | Faizabad | 11 | | 280 | 12 | 280 | 292 | 7 | 569800 | **569800** |
| 26 | Farukkhabad | 7 | | 158 | 8 | 158 | 166 | 4 | 325600 | **325600** |
| 27 | Fatehpur | 13 | | 280 | 14 | 280 | 294 | 7 | 569800 | **569800** |
| 28 | Firozabad | 9 | | 190 | 10 | 190 | 200 | 5 | 407000 | **407000** |
| 29 | G. B. Nagar | 4 | | 94 | 5 | 94 | 99 | 2 | 162800 | **162800** |
| 30 | Ghaziabad | 4 | | 149 | 5 | 149 | 154 | 4 | 325600 | **325600** |
| 31 | Ghazipur | 16 | | 433 | 17 | 433 | 450 | 11 | 895400 | **895400** |
| 32 | Gonda | 16 | 15 | 324 | 32 | 324 | 356 | 9 | 732600 | **732600** |
| 33 | Gorakhpur | 19 | | 503 | 20 | 503 | 523 | 13 | 1058200 | **1058200** |
| 34 | Hamirpur | 7 | | 181 | 8 | 181 | 189 | 5 | 407000 | **407000** |
| 35 | Hapur | 4 | | 104 | 5 | 104 | 109 | 3 | 244200 | **244200** |
| 36 | Hardoi | 19 | | 456 | 20 | 456 | 476 | 12 | 976800 | **976800** |
| 37 | Hathras | 7 | | 127 | 8 | 127 | 135 | 3 | 244200 | **244200** |
| 38 | Jalaun | 9 | | 272 | 10 | 272 | 282 | 7 | 569800 | **569800** |
| 39 | Jaunpur | 21 | | 511 | 22 | 511 | 533 | 13 | 1058200 | **1058200** |
| 40 | Jhansi | 8 | | 231 | 9 | 231 | 240 | 6 | 488400 | **488400** |
| 41 | Kannauj | 8 | | 178 | 9 | 178 | 187 | 5 | 407000 | **407000** |
| 42 | Kanpur Dehat | 10 | | 170 | 11 | 170 | 181 | 5 | 407000 | **407000** |
| 43 | Kanpur Nagar | 10 | | 340 | 11 | 340 | 351 | 9 | 732600 | **732600** |
| 44 | Kasganj | 7 | | 93 | 8 | 93 | 101 | 3 | 244200 | **244200** |
| 45 | Kaushambi | 8 | | 189 | 9 | 189 | 198 | 5 | 407000 | **407000** |
| 46 | Kushi Nagar | 14 | | 328 | 15 | 328 | 343 | 9 | 732600 | **732600** |
| 47 | Lakhimpur Kheri | 15 | 15 | 374 | 31 | 374 | 405 | 10 | 814000 | **814000** |
| 48 | Lalitpur | 6 | | 122 | 7 | 122 | 129 | 3 | 244200 | **244200** |
| 49 | Lucknow | 8 | | 343 | 9 | 343 | 352 | 9 | 732600 | **732600** |
| 50 | Maharajganj | 12 | | 259 | 13 | 259 | 272 | 7 | 569800 | **569800** |
| 51 | Mahoba | 4 | | 146 | 5 | 146 | 151 | 4 | 325600 | **325600** |

| S. N. | Name of District | Fund Allocation of 4 Days IYCF training at district level for 2017-18 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of Block | No. of 7+ Facilities (CHC/PHC) | No. of ANMs | Total Training Case load | | | Total batches @ 40 participants/Batch | | Total fund released to DHS |
| | | | | | 1 Staff Nurse from each block & 1 SNs 7+ districts & DCH/DWH | ANMs to be trained | Total Training Case Load (4+5) | No. of Batches | Total cost @ 81,400 Rs /Batch | |
| | | FMR Code-A9.5.5.2.c | | | | | | | | |
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | |
| 52 | Mainpuri | 9 | | 191 | 10 | 191 | 201 | 5 | 407000 | **407000** |
| 53 | Mathura | 10 | | 188 | 11 | 188 | 199 | 5 | 407000 | **407000** |
| 54 | Mau | 9 | | 229 | 10 | 229 | 239 | 6 | 488400 | **488400** |
| 55 | Meerut | 12 | | 231 | 13 | 231 | 244 | 6 | 488400 | **488400** |
| 56 | Mirzapur | 12 | | 287 | 13 | 287 | 300 | 8 | 651200 | **651200** |
| 57 | Moradabad | 8 | | 185 | 9 | 185 | 194 | 5 | 407000 | **407000** |
| 58 | Muzaffar Nagar | 9 | | 269 | 10 | 269 | 279 | 7 | 569800 | **569800** |
| 59 | Pilibhit | 7 | | 169 | 8 | 169 | 177 | 4 | 325600 | **325600** |
| 60 | Pratapgarh | 17 | | 377 | 18 | 377 | 395 | 10 | 814000 | **814000** |
| 61 | Raebareli | 15 | | 342 | 16 | 342 | 358 | 9 | 732600 | **732600** |
| 62 | Rampur | 6 | | 154 | 7 | 154 | 161 | 4 | 325600 | **325600** |
| 63 | Saharanpur | 11 | | 284 | 12 | 284 | 296 | 7 | 569800 | **569800** |
| 64 | Sambhal | 8 | | 121 | 9 | 121 | 130 | 3 | 244200 | **244200** |
| 65 | Sant Kabir Nagar | 9 | | 191 | 10 | 191 | 201 | 5 | 407000 | **407000** |
| 66 | Sant Ravidas Nagar | 6 | | 148 | 7 | 148 | 155 | 4 | 325600 | **325600** |
| 67 | Shahjahanpur | 15 | | 219 | 16 | 219 | 235 | 6 | 488400 | **488400** |
| 68 | Shamali | 5 | | 98 | 6 | 98 | 104 | 3 | 244200 | **244200** |
| 69 | Shravasti | 5 | 5 | 125 | 11 | 125 | 136 | 3 | 244200 | **244200** |
| 70 | Siddharth Nagar | 14 | 15 | 248 | 30 | 248 | 278 | 7 | 569800 | **569800** |
| 71 | Sitapur | 19 | 17 | 428 | 37 | 428 | 465 | 12 | 976800 | **976800** |
| 72 | Sonbhadra | 8 | | 179 | 9 | 179 | 188 | 5 | 407000 | **407000** |
| 73 | Sultanpur | 15 | | 220 | 16 | 220 | 236 | 6 | 488400 | **488400** |
| 74 | Unnao | 16 | | 368 | 17 | 368 | 385 | 10 | 814000 | **814000** |
| 75 | Varanasi | 8 | | 317 | 9 | 317 | 326 | 8 | 651200 | **651200** |

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी आंवटित धनराशि यथाशीघ्र जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।**

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष / नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक / द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0एफ0एम0 एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

## 10– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- जनपद स्तरीय 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0 / नोडल अधिकारी प्रशिक्षण द्वारा किया जाये।
- जनपद स्तरीय 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केन्द्र का अनुश्रवण किया जाये तथा यूनिसेफ उ0प्र0 / उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) / सेव द चिल्ड्रेन / न्यूट्रीशन इंटरनेशनल एवं कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट लैब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाये।

जनपद स्तरीय 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण की भौतिक एवं वित्तिय रिपोर्ट **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल gmchidhealthnrhm@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

**भवदीय,**

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/IYCF-Trg / 28 / 2017–18 / दिनांक

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश
4. **समस्त जिलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0,** उत्तर प्रदेश।
6. **समस्त प्रमुख / मुख्य** चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / सुयक्त चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण पूर्ण करायें।
7. **समस्त मण्डलीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. **समस्त जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, न्यूट्रीशन इंटरनेशनल–एन0आई0 एवं सेव द चिल्ड्रेन, लखनऊ उ0प्र0।
10. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ**, बी–3 / 258,विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ0प्र0।
11. **निदेशक, कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट लैब**, 26 / 11 वजीर हसन रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
12. **टीम लीडर, उ0प्र0** तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

**मिशन निदेशक,**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

**समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

**पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/IYCF-Trg / 28 / 2017–18 /** **दिनांक** 19/02/18

**विषय– माँ (MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एव गतिविधियां चलाई जा रही हैं। साथ ही शिशु एवं बाल कुपोषण को कम करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह सर्वविदित है कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) अत्यन्त आवश्यक है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिशु के लिये माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है तथा शिशु का मौलिक अधिकार भी है। शिशु मृत्युदर में नवजात शिशु मृत्युदर का प्रतिशत काफी अधिक होता है।

शिशुओं और बच्चों के लिये उत्तम स्वास्थ्य तथा कुपोषण से बचाव के लिये स्तनपान और ऊपरी आहार सम्बन्धित आदर्श व्यवहार निम्नलिखित हैः–

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान की शुरूआत करायें एवं कॉलोस्ट्रम फीडिंग करायें।
- जन्म से छः माह पूर होने तक केवल स्तनपान करायें, पानी, घुट्टी, शहद एवं अन्य पेय पदार्थ का भी प्रयोग न करें।
- छः माह पूरे होने पर स्तनपान के साथ–साथ "अन्नप्राशन" मनाकर पौष्टिक ऊपरी आहार की शुरूआत करायें।
- कम से कम दो साल की उम्र तक स्तनपान जारी रखें।

प्रदेश की शिशु मृत्युदर काफी अधिक है। प्रदेश में शिशु मृत्युदर 43 / 1000 जीवित जन्म (एस0आर0एस0–2016) और बाल मृत्युदर 47 / 1000 जीवित जन्म (एस0आर0एस0–2016) है। शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) व्यवहार मृत्युदर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रदेश में हुए सर्वे (NFHS-4, 2015-16) के अनुसार स्तनपान सम्बन्धी व्यवहार की स्थिति उत्साह जनक नहीं हैं।

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशत 25.2 प्रतिशत।
- जन्म से छः माह पूरे होने तक केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशत 41.6 प्रतिशत।

प्रदेश में बाल कुपोषण की स्थिति (NFHS- 4, 2015-16) के अनुसार निम्नवत है जो कि चिन्ता का विषय है।

| कुपोषण के प्रकार | अतिगंभीर कुपोषित (<-3SD) | मध्यम कुपोषित (<-2SD) |
|---|---|---|
| Stunting | 21.2 प्रतिशत | 46.3 प्रतिशत |
| Wasting | 6 प्रतिशत | 17.9 प्रतिशत |
| Underweight | 12.2 प्रतिशत | 39.5 प्रतिशत |

किसी भी समुदाय के प्रचलित व्यवहारों में बदलाव लाने के लिये चिकित्सीय सलाह एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा दिए जाने वाले परामर्श की अहम भूमिका होती है। अतः स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों का शिशु एवं बाल–पोषण की तकनीकी जानकारी एवं क्षमता वृद्धि हेतु स्किल प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्तनपान व उपरी आहार को बढ़ावा देने हेतु "माँ" (MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाई, ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई तथा सभी आशाओं एवं ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है ताकि शिशु मृत्युदर को रोकने में सहायता मिल सके।

इसी क्रम में **माँ** (MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के 24 घन्टे प्रसव सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के समस्त स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को जनपद स्तर पर 04 दिवसीय Infant and Young Child Feeding (IYCF) प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमतावर्द्धन किया जाना है।

❖ **प्रदेश में शिशु एवं बाल पोषण में सुधार लाने की रणनीति –**

जैसा कि आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013 से प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों में चरणवद्ध रूप से IYCF प्रशिक्षण चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों, न्यूट्रीशनिस्ट, RMNCH+A Counsellor को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में IYCF प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स उपलब्ध है। इनकी सूची भी जनपदों को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है माँ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित 04 दिवसीय शिशु एवं बाल पोषण IYCF प्रशिक्षण भी इन्हीं प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्सों से जनपद स्तर पर संचालित किया जाना है। इस प्रशिक्षण से अपेक्षित है कि स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि होगी जिससे वे अपनी–अपनी चिकित्सा इकाईयों को बेबी फ्रेन्डली बना सकें तथा शिशु एवं बाल पोषण सम्बन्धी कठिनाइयों का हल निकालने में एवं परामर्श देने में सक्षम हो सकें।

❖ **जनपद स्तरीय 04 दिवसीय** Infant and Young Child Feeding (IYCF) **प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0 एम0 को प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश–**

01– **जनपद स्तरीय 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्थल का चयन–**

- 04 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित किया जायेगा।
- ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में 04 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये ऐसी जगह की व्यवस्था की जाये जहाँ बिजली एवं प्रोजेक्टर आदि की समुचित व्यवस्था हो।
- 04 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 40 प्रतिभागी भाग ले सकते हैं।

02– **04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का चयन –**

- प्रति बैच के लिये जनपद में पूर्व में प्रशिक्षित 02 प्रशिक्षकों जिसमें 01 चिकित्सा अधिकारी ( प्रमुख्तः बालरोग विशेषज्ञ) एवं 02 स्टाफ नर्स द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार से कुल 03 प्रशिक्षकों द्वारा एक सत्र को संचालन किया जायेगा। किसी भी दशा में 02 प्रशिक्षकों से कम में बैच का संचालन नहीं कराया जायेगा।
- **जिन चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों ने पूर्व में मेडिकल कालेज स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों की जनपदवार सूची संलग्न है।**

03– **04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना–**

- प्रतिभागियों को 04 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण हेतु **मॉड्यूल**, फोल्डर, पेन, पेन्सिल, रबर, कटर, पैड, प्रमाण पत्र, अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी पत्र–प्रपत्र आदि की व्यवस्था कन्टिनजेन्सी मद से समय से कर ली जाये।

04– **04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किये जाने हेतु प्रतिभागियों का चयन–**

- प्रतिभागियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। जनपद में 24 घन्टे प्रसव सेवा वाले जिला महिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चयनित उपकेन्द्र के पूर्व में प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित स्टाफ नर्स एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी (ए0एन0एम0) की सूची तैयार कर ली जाये। **अन्य उपकेन्द्र जहॉ डिलवरी नहीं हो रही हैं उन ए0एन0एम0 को इस प्रशिक्षण में न बुलाया जाये।**
- **जिन स्टाफ नर्सो ने पूर्व में मेडिकल कालेज में IYCF प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन्हे प्रतिभागी के रूप में न बुलाया जायें। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षक के रूप में सेवायें ली जा सकती है।**
- यदि किसी कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रतिभागी नहीं आये हों तो जिला महिला चिकित्सालय से प्रतिभागियों को बुलाया जाये।

## 05— प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के दायित्व —

04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित किया जाना है, अतः सभी व्यवस्था को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0 / नोडल अधिकारी प्रशिक्षण / प्रशिक्षण प्राप्त नामित अधिकारी के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व तैयारी की जायेगी। जिसमें बैठने, खाने पीने, तथा गुणवत्ता हेतु सभी आवश्यक लॉजिस्टिक एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था पूर्ण की जानी है।

## 06— नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के दायित्व —

04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराये जाने हेतु सूचना पूर्व में प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को उपलब्ध करा दें। पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण से पूर्व आवंटित धनराशि प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका ज़िला महिला चिकित्सालय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर अवमुक्त करा दें, जिससे कि प्रशिक्षण के संचालन में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण बैचों मे आने वाले **प्रतिभागियों को समय से सूचीबद्ध कर लें।** प्रतिभागियों को निर्देशित कर दें कि चूँकि उक्त प्रशिक्षण 04 दिन का है अतः सभी प्रतिभागी प्रातः 9.30 से सांय 5.30 तक अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थित में उन्हें वापस कर दें।

## 07— वित्तीय दिशा निर्देश —

- प्रशिक्षण के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय की होगी तथा आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति से मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय को समय से स्थानान्तरित कर दी जाये, जिससे प्रशिक्षण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों का भुगतान तालिका के अनुसार नियमानुसार किया जाना है।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को नाश्ता, दो समय की चाय, दोपहर का भोजन, स्वच्छ पेय जल, की समुचित व्यवस्था की जानी है जिसके लिये प्रति प्रतिभागी प्रति दिन के हिसाब से धनराशि दी जा रही है।

## 08— वित्त पोषण —

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 के FMR Code- A.9.5.5.2.e पर IYCF प्रशिक्षण प्रसव केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 के (**प्रति बैच 40 प्रतिभागी**) 04 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु **रू0 81400.00 प्रति बैच** के अनुसार जनपदवार अनुमानित बैचों के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अवमुक्त की जा रही धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

**❖ 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किये जाने हेतु मानक —**

**निम्नलिखित तालिका में दिये गये भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित आर0सी0एच0 प्रशिक्षण मानकों के अनुसार 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्सो एवं ए0एन0एम0 प्रदान किये जाने हेतु प्रति बैच के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना है —**

| S. N. | Particulars (FMR Code- A.9.5.5.2.e) | Unit Cost | Quantity | | Total budget |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No.of Units | No.of Days /months | |
| | **A. Four day training of Staff Nurses and ANMs on IYCF** | | | | |
| 1 | Honorarium for Resource Persons (Rs. 1000 X 1 MO X 4 days) | 1000.00 | 1 | 4 | **4000.00** |
| 2 | Honorarium for Resource Persons (Rs. 600 X 2 SNs.X 4 days) | 600.00 | 2 | 4 | **4800.00** |
| 3 | Food/ Refreshments for participants (Lunch, Morning and evening Tea and Snacks) Rs. 350 X 4 X 40 | 250.00 | 40 | 4 | **40000.00** |
| 4 | Food/ Refreshments for facilitators Rs. 300 X 3 X 4 | 250.00 | 3 | 4 | **3000.00** |
| 5 | Training kit-(Plastic folder,four day MAA trg module, pad, pen etc.) | 300.00 | 40 | 1 | **12000.00** |
| 6 | Institutional Overheads | 9600.00 | 1 | 1 | **9600.00** |
| 7 | TA to participants (as per actual) - | 200.00 | 40 | 1 | **8000.00** |
| | **Total Fund** | | | | **81400.00** |

04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 प्रदान किये जाने हेतु नीचे दी गयी तालिका में जनपद के जिला महिला चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित बैच के अनुसार FMR Code-A9.5.5.2.c पर निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

Fund Allocation of 4 Days IYCF training at district level for 2017-18

| S. N. | Name of District | No. of Block | No. of 7+ Facilities (CHC/PHC) | No. of ANMs | Total Training Case load | | | Total batches @ 40 participants/Batch | | **Total fund released to DHS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 Staff Nurse from each block & 1 SNs 7+ districts & DCH/DWH | ANMs to be trained | **Total Training Case Load (4+5)** | No. of Batches | Total cost @ 81,400 Rs /Batch | |
| | | FMR Code-A9.5.5.2.c | | | | | | | | |
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | |
| 1 | Agra | 15 | | 286 | 16 | 286 | 302 | 8 | 651200 | **651200** |
| 2 | Aligarh | 12 | | 229 | 13 | 229 | 242 | 6 | 488400 | **488400** |
| 3 | Allahabad | 20 | | 568 | 21 | 568 | 589 | 15 | 1221000 | **1221000** |
| 4 | Ambedkar Nagar | 9 | | 267 | 10 | 267 | 277 | 7 | 569800 | **569800** |
| 5 | Amethi | 16 | | 199 | 17 | 199 | 216 | 5 | 407000 | **407000** |
| 6 | Amroha | 6 | | 100 | 7 | 100 | 107 | 3 | 244200 | **244200** |
| 7 | Auraiya | 7 | | 134 | 8 | 134 | 142 | 4 | 325600 | **325600** |
| 8 | Azamgarh | 22 | | 504 | 23 | 504 | 527 | 13 | 1058200 | **1058200** |
| 9 | Baghpat | 6 | | 133 | 7 | 133 | 140 | 4 | 325600 | **325600** |
| 10 | Bahraich | 14 | 12 | 292 | 27 | 292 | 319 | 8 | 651200 | **651200** |
| 11 | Ballia | 17 | | 308 | 18 | 308 | 326 | 8 | 651200 | **651200** |
| 12 | Balrampur | 9 | 9 | 179 | 19 | 179 | 198 | 5 | 407000 | **407000** |
| 13 | Banda | 8 | | 268 | 9 | 268 | 277 | 7 | 569800 | **569800** |
| 14 | Barabanki | 15 | | 381 | 16 | 381 | 397 | 10 | 814000 | **814000** |
| 15 | Bareilly | 15 | | 349 | 16 | 349 | 365 | 9 | 732600 | **732600** |
| 16 | Basti | 14 | | 256 | 15 | 256 | 271 | 7 | 569800 | **569800** |
| 17 | Bijnor | 11 | | 315 | 12 | 315 | 327 | 8 | 651200 | **651200** |
| 18 | Budaun | 15 | | 257 | 16 | 257 | 273 | 7 | 569800 | **569800** |
| 19 | Bulandshahar | 16 | | 296 | 17 | 296 | 313 | 8 | 651200 | **651200** |
| 20 | Chandauli | 9 | | 255 | 10 | 255 | 265 | 7 | 569800 | **569800** |
| 21 | Chitrakoot | 5 | | 148 | 6 | 148 | 154 | 4 | 325600 | **325600** |
| 22 | Deoria | 16 | | 340 | 17 | 340 | 357 | 9 | 732600 | **732600** |
| 23 | Etah | 8 | | 183 | 9 | 183 | 192 | 5 | 407000 | **407000** |
| 24 | Etawah | 8 | | 151 | 9 | 151 | 160 | 4 | 325600 | **325600** |
| 25 | Faizabad | 11 | | 280 | 12 | 280 | 292 | 7 | 569800 | **569800** |
| 26 | Farukkhabad | 7 | | 158 | 8 | 158 | 166 | 4 | 325600 | **325600** |
| 27 | Fatehpur | 13 | | 280 | 14 | 280 | 294 | 7 | 569800 | **569800** |
| 28 | Firozabad | 9 | | 190 | 10 | 190 | 200 | 5 | 407000 | **407000** |
| 29 | G. B. Nagar | 4 | | 94 | 5 | 94 | 99 | 2 | 162800 | **162800** |
| 30 | Ghaziabad | 4 | | 149 | 5 | 149 | 154 | 4 | 325600 | **325600** |
| 31 | Ghazipur | 16 | | 433 | 17 | 433 | 450 | 11 | 895400 | **895400** |
| 32 | Gonda | 16 | 15 | 324 | 32 | 324 | 356 | 9 | 732600 | **732600** |
| 33 | Gorakhpur | 19 | | 503 | 20 | 503 | 523 | 13 | 1058200 | **1058200** |
| 34 | Hamirpur | 7 | | 181 | 8 | 181 | 189 | 5 | 407000 | **407000** |
| 35 | Hapur | 4 | | 104 | 5 | 104 | 109 | 3 | 244200 | **244200** |
| 36 | Hardoi | 19 | | 456 | 20 | 456 | 476 | 12 | 976800 | **976800** |
| 37 | Hathras | 7 | | 127 | 8 | 127 | 135 | 3 | 244200 | **244200** |
| 38 | Jalaun | 9 | | 272 | 10 | 272 | 282 | 7 | 569800 | **569800** |
| 39 | Jaunpur | 21 | | 511 | 22 | 511 | 533 | 13 | 1058200 | **1058200** |
| 40 | Jhansi | 8 | | 231 | 9 | 231 | 240 | 6 | 488400 | **488400** |
| 41 | Kannauj | 8 | | 178 | 9 | 178 | 187 | 5 | 407000 | **407000** |
| 42 | Kanpur Dehat | 10 | | 170 | 11 | 170 | 181 | 5 | 407000 | **407000** |
| 43 | Kanpur Nagar | 10 | | 340 | 11 | 340 | 351 | 9 | 732600 | **732600** |
| 44 | Kasganj | 7 | | 93 | 8 | 93 | 101 | 3 | 244200 | **244200** |
| 45 | Kaushambi | 8 | | 189 | 9 | 189 | 198 | 5 | 407000 | **407000** |
| 46 | Kushi Nagar | 14 | | 328 | 15 | 328 | 343 | 9 | 732600 | **732600** |
| 47 | Lakhimpur Kheri | 15 | 15 | 374 | 31 | 374 | 405 | 10 | 814000 | **814000** |
| 48 | Lalitpur | 6 | | 122 | 7 | 122 | 129 | 3 | 244200 | **244200** |
| 49 | Lucknow | 8 | | 343 | 9 | 343 | 352 | 9 | 732600 | **732600** |
| 50 | Maharajganj | 12 | | 259 | 13 | 259 | 272 | 7 | 569800 | **569800** |
| 51 | Mahoba | 4 | | 146 | 5 | 146 | 151 | 4 | 325600 | **325600** |

| S. N. | Name of District | No. of Block | No. of 7+ Facilities (CHC/PHC) | No. of ANMs | Total Training Case load: 1 Staff Nurse from each block & 1 SNs 7+ districts & DCH/DWH | ANMs to be trained | Total Training Case Load (4+5) | Total batches @ 40 participants/Batch: No. of Batches | Total cost @ 81,400 Rs /Batch | Total fund released to DHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FMR Code-A9.5.5.2.c | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 52 | Mainpuri | 9 | | 191 | 10 | 191 | 201 | 5 | 407000 | 407000 |
| 53 | Mathura | 10 | | 188 | 11 | 188 | 199 | 5 | 407000 | 407000 |
| 54 | Mau | 9 | | 229 | 10 | 229 | 239 | 6 | 488400 | 488400 |
| 55 | Meerut | 12 | | 231 | 13 | 231 | 244 | 6 | 488400 | 488400 |
| 56 | Mirzapur | 12 | | 287 | 13 | 287 | 300 | 8 | 651200 | 651200 |
| 57 | Moradabad | 8 | | 185 | 9 | 185 | 194 | 5 | 407000 | 407000 |
| 58 | Muzaffar Nagar | 9 | | 269 | 10 | 269 | 279 | 7 | 569800 | 569800 |
| 59 | Pilibhit | 7 | | 169 | 8 | 169 | 177 | 4 | 325600 | 325600 |
| 60 | Pratapgarh | 17 | | 377 | 18 | 377 | 395 | 10 | 814000 | 814000 |
| 61 | Raebareli | 15 | | 342 | 16 | 342 | 358 | 9 | 732600 | 732600 |
| 62 | Rampur | 6 | | 154 | 7 | 154 | 161 | 4 | 325600 | 325600 |
| 63 | Saharanpur | 11 | | 284 | 12 | 284 | 296 | 7 | 569800 | 569800 |
| 64 | Sambhal | 8 | | 121 | 9 | 121 | 130 | 3 | 244200 | 244200 |
| 65 | Sant Kabir Nagar | 9 | | 191 | 10 | 191 | 201 | 5 | 407000 | 407000 |
| 66 | Sant Ravidas Nagar | 6 | | 148 | 7 | 148 | 155 | 4 | 325600 | 325600 |
| 67 | Shahjahanpur | 15 | | 219 | 16 | 219 | 235 | 6 | 488400 | 488400 |
| 68 | Shamali | 5 | | 98 | 6 | 98 | 104 | 3 | 244200 | 244200 |
| 69 | Shravasti | 5 | 5 | 125 | 11 | 125 | 136 | 3 | 244200 | 244200 |
| 70 | Siddharth Nagar | 14 | 15 | 248 | 30 | 248 | 278 | 7 | 569800 | 569800 |
| 71 | Sitapur | 19 | 17 | 428 | 37 | 428 | 465 | 12 | 976800 | 976800 |
| 72 | Sonbhadra | 8 | | 179 | 9 | 179 | 188 | 5 | 407000 | 407000 |
| 73 | Sultanpur | 15 | | 220 | 16 | 220 | 236 | 6 | 488400 | 488400 |
| 74 | Unnao | 16 | | 368 | 17 | 368 | 385 | 10 | 814000 | 814000 |
| 75 | Varanasi | 8 | | 317 | 9 | 317 | 326 | 8 | 651200 | 651200 |

Fund Allocation of 4 Days IYCF training at district level for 2017-18 (table title)

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी आंवटित धनराशि यथाशीघ्र जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।**

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष / नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक / द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0एफ0एम0 एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

10– **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –**

- जनपद स्तरीय 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0 / नोडल अधिकारी प्रशिक्षण द्वारा किया जाये।
- जनपद स्तरीय 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केन्द्र का अनुश्रवण किया जाये तथा यूनिसेफ उ0प्र0 / उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) / सेव द चिल्ड्रेन / न्यूट्रीशन इंटरनेशनल एवं कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट लैब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाये।

जनपद स्तरीय 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण की भौतिक एवं वित्तिय रिपोर्ट **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल gmchidhealthnrhm@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

**पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/IYCF-Trg / 28 / 2017–18 /** 11950-75(12) **दिनांक**

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश
4. **समस्त जिलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0,** उत्तर प्रदेश।
6. **समस्त प्रमुख / मुख्य** चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / सुयक्त चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर 04 दिवसीय IYCF प्रशिक्षण पूर्ण करायें।
7. **समस्त मण्डलीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. **समस्त जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. **राज्य कार्यकम प्रतिनिधि**, न्यूट्रीशन इंटरनेशनल–एन0आई0 एवं सेव द चिल्ड्रेन, लखनऊ उ0प्र0।
10. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ**, बी–3 / 258,विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ0प्र0।
11. **निदेशक, कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट लैब**, 26 / 11 वजीर हसन रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
12. **टीम लीडर, उ0प्र0** तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य